

निर्णय बइजलास शुभम चौधरी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
सवाई माधोपुर

प्रकरण संख्या 39/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

GCMS No- 2024/147

आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड जयपुर

.....प्रार्थी


1. श्री बबलू मीना पुत्र श्री पन्ना लाल मीना निवासी ग्राम गण्डावर प.स. खण्डार जिला सवाई माधोपुर
2. श्रीमती फूल बाई पत्नी श्री भैरू लाल निवासी ग्राम पीपलदा तहसील खण्डार

.....अप्रार्थी / ऋणी

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and
enforcement of security interest Act. 2002

--: आदेश :-

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 16.04.2022 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में श्री बबलू मीना पुत्र श्री पन्ना लाल मीना निवासी ग्राम गण्डावर प.स. खण्डार जिला सवाई माधोपुर की सम्पत्ति पट्टा संख्या 25 ग्राम पंचायत गण्डावर पंचायत समिति खण्डार जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसका सीमांकन उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में रोशन का मकान, पूर्व में शेर सिंह का बाड़ा व पश्चिम में नारायण का मकान है, जिसका क्षेत्रफल 133.33 वर्ग गज है, को बंधक रखकर 1,85,000 (एक लाख पच्चासी हजार रुपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 07.08.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने साथ ही दिनांक 09.08.2024 को समाचार पत्र में साया करवाये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि को सुना। पत्रावली का भलीभाँति अवलोकन किया गया।
3. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 07.08.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया साथ ही दिनांक 09.08.2024 को समाचार पत्र में साया करवाया गया, लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति पट्टा संख्या 25 ग्राम पंचायत गण्डावर पंचायत समिति खण्डार जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसका सीमांकन उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में रोशन का मकान, पूर्व में शेर सिंह का बाड़ा व पश्चिम में नारायण का मकान है, जिसका क्षेत्रफल 133.33 वर्ग गज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
4. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्रार्थी बैंक को हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
5. आदेश आज दिनांक 13-11-2024 को सुनाया गया।


(शुभम चौधरी)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

